प्रेस-नोट दि0-10.10.2024, जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ या अलग-अलग समुदायों के बीच नफ़रत पैदा करने वाला पोस्ट, वीडियो या तस्वीर शेयर करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के दिए थे सख्त निर्देश-

थाना पट्टी में अभद्र टिप्पणी, धर्म या समुदायों के लोगों की आस्था जिसमें मन या भावना को ठेस पहुंचने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है-

सभी जिम्मेदार नागरिकों से अपील की जाती है कि दूसरे मतावलम्बी/ धर्मावलम्बी की भावनाओं को ठेस पहुचानने वाली टिप्पणी किसी भी दशा में न करें।ऐसा करना समाज एवं देश के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करना है ।कोई भी धर्म/ मज़हब/ मत घृणा करना नहीं सिखाता है। ऐसा कुकृत्य करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी

सोशल मीडिया पर ऐसा कोई शब्द/कमेन्ट, पोस्ट, फोटो, वीडियो कदापि न पोस्ट करें जिससे किसी धर्म या समुदायों के लोगों की आस्था, मन या भावना को ठेस पहुंचती हो । इस तरह से पोस्ट करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी -

दिनांक 09.10.2024 को वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 18.10.2024 को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत रामपुर खागल में तुलशीपीठाधीश्वर रामनन्दाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी की कथा प्रस्तावित है । जिसके संबंध मे सोशल मीडिया पर पप्पू यादव निवासी ग्राम रामकोला द्वारा पोस्ट किया गया कि राजनीतिक कार्यक्रम को धर्म का रूप दिया जा रहा है । जिस पर धार्मिक सौहार्द बिगाडने के नियत से रामाशंकर यादव निवासी ग्राम लबेदा विपिन सरोज व चंद्रभान यादव निवासी बिरौती गोदाम के द्वारा उपरोक्त कथावाचक की सामाजिक मानहानि करने तथा कथा के पूर्व ही उक्त लोगो द्वारा आपराधिक खडयंत्र करते हुए लोगो को शांति भंग करने के लिए उकसाया जा रहा है । इसी क्रम मे समान आशय से राजा सक्षम सिंह योगी द्वारा भी सोशल मीडिया पर पूज्य गुरुदेव पर अभद्र पोस्ट किया गया है । जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना पट्टी में मु0अ0सं0 307/2024 धारा 299 61(2) 356(2) 356(3) 353(2) बीएनएस व धारा 66 सूचना प्रोधोगिकी अधिनियम बनाम 05 नामजद अभियुक्तों, पप्पू यादव, रमाशंकर यादव, विपिन सरोज, राजा सक्षम सिंह योगी, चन्द्रभान यादव के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

बयान- प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट प्रत्येक खबर /सामग्रियों पर निरन्तर कड़ी नजर रखी जा रही है । आपत्तिजनक/भड़काऊ/भ्रामक पोस्ट या वीडियो या तस्वीर का सोशल मीडिया में प्रसारित होने पर अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध जीरो टॉलरेन्स नीति के तहत विधिक कार्यवाही हेतु संबंधित को पूर्व से निर्देशित किया गया है।
डॉ0 अनिल कुमार,
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

एसपी डॉ अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना लीलापुर पुलिस द्वारा की गई गैंगस्टर की कार्यवाही-

हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त 05 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लीलापुर में गैंगेस्टर एक्ट के तहत किया गया अभियोग पंजीकृत-

गिरोह लीडर शाहरुख खान उर्फ गुफरान अन्तर्जनपदीय स्तर का शातिर अपराधी है जो हत्या, लूट जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त है-

गिरोह का लीडर व सदस्य पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं-

दिनांक 19.05.2024 को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत हरिहर मजरे सिन्धौर में अब्दुल रज्जाक ट्रैक्टर से अपने खेत की जोताई करते समय गिरोह का लीडर व सदस्य द्वारा अवैध असलहा से गोली मार कर हत्या कर दी थी-

प्रतापगढ़।
श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री प्रेम गौतम के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

अपर पुलिस अधीक्षक,पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिनांक 09.10.2024 को एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंग लीडर शहरुख खान उर्फ गुफरान पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ग्राम हरिहरपुर मजरे सिन्धौर थाना लीलापुर, जनपद

प्रतापगढ़ व सदस्य क्रमशः सोहेल पुत्र अब्दुल मजीदस, सलीम उर्फ सल्ले पुत्र अब्दुल हमीद, जाहिद उर्फ सोनू पुत्र अनवर, अब्दुल मजीद पुत्र अब्दुल अहीद निवासीगण ग्राम हरिहरपुर मजरे सिन्धौर थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध नियमानुसार मु0अ0सं0 376/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग में नामजद सभी गैंगस्टर पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं।

घटना का पूर्व का विवरण-

गैंग लीडर शहरुख खान उर्फ गुफरान व सदस्य क्रमशः सोहेल पुत्र अब्दुल मजीदस, सलीम उर्फ सल्ले, जाहिद उर्फ सोनू, अब्दुल मजीद के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर रखा है। जिसमे गैंग लीडर शहरुख खान उर्फ गुफरान उपरोक्त अन्तर्जनपदीय स्तर पर सक्रिय अपराधी है।

इस गिरोह द्वारा दिनांक 19.05.2024 को अब्दुल रज्जाक ट्रैक्टर से अपने खेत की जोताई करते समय दिन के समय में अबैध असलहा से गोली मार कर हत्या कर दी गयी। शहरुक, वहाजुद्दीन, रुकसार को जान से मारने की नियत से अवैध असले से फायर करना तथा कट्टा के बट से मारा पीटा गया था। फायरिंग की आवाज सुनकर ग्राम वासियों के आ जाने पर फायरिंग कर दहशत फैलायी गई। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 204/2024 धारा 147,148,149,302,323,307,286,506,34,120बी भादवि व 7सीएल एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा घटना का शीघ्र गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश दिए थे। जिसके क्रम में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान सलीम उर्फ सल्ले, जाहिद उपरोक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल बरामद होने एवं अन्य संकलित साक्ष्य कर इनके विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147,148,149,302,323,307,286,506,34,120बी भादवि व 7सीएल एक्ट व 3/25/27 आर्म्स एक्ट माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। शहरुख खान, सोहेल, अब्दुल मजीद पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147,148,149,302,323,307,286,506,34,120बी भादवि व 7सीएल एक्ट अभियुक्तगण माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

गैंग लीडर व गैंग सदस्य का आपराधिक इतिहास-

01- गैंग लीडर शहरुख खान उर्फ गुफरान पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ग्राम हरिहरपुर मजरे सिन्धौर थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़-

मु0अ0सं0 204/2024 धारा 147,148,149,302,323,307,286,506,34,120बी भादवि व 7सीएल एक्ट थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

मु0अ0सं0 05/2017 धारा 394, 411, 342 भादवि थाना मछली शहर जनपद जौनपुर।

02- सोहेल पुत्र अब्दुल मजीदस निवासीग्राम हरिहरपुर मजरे सिन्धौर थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़-
मु0अ0सं0 204/2024 धारा 147,148,149,302,323,307,286,506,34,120बी भादवि व 7सीएल एक्ट थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

03- सलीम उर्फ सल्ले पुत्र अब्दुल हमीद निवासी ग्राम हरिहरपुर मजरे सिन्धौर थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़-
मु0अ0सं0 204/2024 धारा 147,148,149,302,323,307,286,506,34,120बी भादवि व 7सीएल एक्ट व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 176/2024 धारा 323,504,506 भादवि व 3(1)द एससी/एसटी एक्ट थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

04- जाहिद उर्फ सोनू पुत्र अनवर निवासी ग्राम हरिहरपुर मजरे सिन्धौर थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़-
मु0अ0सं0 204/2024 धारा 147,148,149,302,323,307,286,506,34,120बी भादवि व 7सीएल एक्ट व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

05- अब्दुल मजीद पुत्र अब्दुल अहीद निवासी ग्राम हरिहरपुर मजरे सिन्धौर थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़-
मु0अ0सं0 204/2024 धारा 147,148,149,302,323,307,286,506,34,120बी भादवि व 7सीएल एक्ट थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

बयान– जीरी टॉलरेंस नीति के तहत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस कटिबद्ध है। अपराधियों को किसी भी दशा में छोड़ा नहीं जाएगा। शीघ्र गिरफ्तार कर अपराधियों को जेल भेजे जाने की कार्यवाही जारी है। शांत एवं सुरक्षित समाज निर्माण में प्रतापगढ़ पुलिस का सहयोग करें।
डॉ0 अनिल कुमार,
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 10.10.2024 जनपद प्रतापगढ़

मा0न्यायालय द्वारा हिस्ट्रीशीटर तौहीद आलम के अचल सम्पत्ति मूल्य 60 लाख रूपये एवं चल सम्पत्ती मुल्य 51057 की कुर्की का आदेश हुआ पारित-

मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा हिस्ट्रीशीटर तौहीद आलम के अवैधानिक रीति से धन अर्जित कर क्रय की गई अचल सम्पत्ति गाटा संख्या 5,6,8,11,9 व 212 कुल क्षेत्रफल 0.205 हेक्टेयर भूमि स्थित ग्राम कुसुमी थाना कोतवाली नगरएक्सिस बैंक प्रतापगढ़ के खाता संख्या में जमा धनराशि का चल सम्पत्ती मुल्य 51057 एवं को उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क करने का आदेश पारित किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर शिव नारायण वैश के कुशल मार्गदर्शन में प्रतापगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा हिस्ट्रीशीटर तौहीद आलम के अचल सम्पत्ति गाटा संख्या 5,6,8,11,9 व 212 कुल क्षेत्रफल 0.205 हेक्टेयर भूमि स्थित ग्राम कुसुमी थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ का मूल्य 60 लाख रूपये एवं एक्सिस बैंक प्रतापगढ़ के खाता संख्या में जमा धनराशित का चल सम्पत्ती मुल्य 51057 की कुर्की का आदेश पारित

थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 799/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त तौहीद आलम पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी ग्राम कुसुमी थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ एक अभ्यस्त अपराधी है।

हत्या का प्रय़ास, मारपीट जैसे गम्भीर कुल 07 अपराधों में शामिल है हिस्ट्रीशीटर तौहीद आलम

हिस्ट्रीशीटर तौहीद आलम के अचल सम्पत्ति गाटा संख्या 5,6,8,11,9 व 212 कुल क्षेत्रफल 0.205 हेक्टेयर स्थित ग्राम कुसुमी थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ का मूल्य 60 लाख रूपये एवं एक्सिस बैंक प्रतापगढ़ के खाता संख्या में जमा धनराशित का चल सम्पत्ती मुल्य 51057 की की कुर्की का आदेश हुआ पारित

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा मा0न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को दिये गये हैं निर्देश।

हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त तौहीद आलम पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी ग्राम कुसुमी थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 755/2023 धारा 147/148/149/323/504/506/452/427/307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

2-मु0अ0सं0- 562/2019 धारा 307, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

3- मु0अ0सं0 913/2020 धारा 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

4- मु0अ0सं0 200/2018 धारा, 504,506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

5- मु0अ0सं0 610/2022 धारा147,323, 504,506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
6- मु0अ0सं0 934/2022 धारा147,323, 504,506,384 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
7- मु0अ0सं0 200/2018 धारा323, 504,506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना साइबर क्राइम पुलिस थाना, जनपद प्रतापगढ

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी,

एएसपी(पूर्वी) एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा 03 अभियुक्ता गिरफ्तार

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी(फर्जीवाडे) बैंक खाते से पैसे गबन करने के प्रकरण में 03 अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम नें थाना क्षेत्रान्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, प्रतापगढ़ से 03 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण-
आरोपी अभियुक्ताओं द्वारा वादिनी के खाते से पैसे गबन करने के प्रकरण में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 04/24 धारा 409/419/420/467/468/469/471 भा0द0वि0 व 66 (सी) आई0टी0 एक्ट, साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद प्रतापगढ़ में बनाम अज्ञात के विरूध्द का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी गुलाब चन्द्र सोनकर थाना साइबर क्राइम के नेतृत्व में दिनांक 09.10.2024 को थाना साइबर क्राइम के प्रभारी निरीक्षक गुलाब चन्द्र सोनकर मय हमराह नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव, का0 सौरव सिंह, का0 शिवम कुमार, का0 पंकज पाल, म0आ0 श्वेता त्यागी, म0आ0 ललिता तोमर चालक आ0 देवेन्द्र सिंह द्वारा विवेचना व तलाश वांछित के दौरान मुखबिर की सूचना मु0अ0सं0 04/24 धारा 409/419/420/467/468/469/471 भा0द0वि0 व 66 (सी) आई0टी0 एक्ट, साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 03 अभियुक्ता 01- कुसुम देवी पत्नी हरिकेश वर्मा निवासी ग्राम हरिहरपुर कैलहा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़, 2- रूपा वर्मा पुत्री हरिकेश वर्मा निवासी ग्राम हरिहरपुर कैलहा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़, 3- काजल वर्मा पत्नी विनय वर्मा निवासी दीनापुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ पुत्री हरिकेश वर्मा

निवासी हरिहरपुर कैलहा थाना लीलापुर प्रतापगढ़ को थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, जनपद प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 04/24 धारा 409/419/420/467/468/469/471 भा0द0वि0 व 66 (सी) आई0टी0 एक्ट, साइबर क्राइम पुलिस थाना, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्ताओंः का विवरण-

01- कुसुम देवी पत्नी हरिकेश वर्मा निवासी ग्राम हरिहरपुर कैलहा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

02- रूपा वर्मा पुत्री हरिकेश वर्मा निवासी ग्राम हरिहरपुर कैलहा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

03- काजल वर्मा पत्नी विनय वर्मा निवासी दीनापुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ पुत्री हरिकेश वर्मा निवासी हरिहरपुर कैलहा थाना लीलापुर प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक गुलाब चन्द्र सोनकर मय हमराह नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव, का0 सौरव सिंह, का0 शिवम कुमार, का0 पंकज पाल, म0आ0 श्वेता त्यागी, म0आ0 ललिता तोमर चालक आ0 देवेन्द्र सिंह, साइबर क्राइम पुलिस थाना, जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

एसपी द्वारा चेकिंग के दिये गये है सख्त निर्देश

थाना बाघराय पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना से संबंधित 02 अन्तर्जनपदीय चोरों को किया गया गिरफ्तार

थाना बाघराय पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत मकुनी फाटक शकरदहा पचमहुआ मार्ग के पास से 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्तों के पास से फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की 02 अदद मोटर साइकिल, 02 अदद नम्बर प्लेट, 04 अदद देशी सुतली बम किया गया बरामद

संक्षिप्त विवरण-

आरोपीगणों पर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ व थाना दारागंज जनपद प्रयागराज में चोरी व अन्य घटनाओं से संबंधित 05 मुकदमें क्रमशः- 1- मु0अ0सं0 813/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़, 2- मु0अ0सं0 814/18 धारा 411/413 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़, 3- मु0अ0सं0 33/23 धारा 380/411/454 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़,4- मु0अ0सं0 85/18 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना दारागंज जनपद प्रयागराज व 5- मु0अ0सं0 179/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण व थाना बाघराय प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 देवीदयाल कश्यप मय हमराह प्रशिक्षु उ0नि0 गौरव प्रताप सिंह, उ0नि0 राहुल, का0 शीशपाल, का0 संदीप द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों 1.सुरेन्द्र गुप्ता पुत्र स्व0 घनश्याम गुप्ता निवासी ग्राम सरायदली पो0 कांपा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़, 2. अखिलेश वर्मा पुत्र रामदेव वर्मा निवासी कांपा थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत मकुनी फाटक शकरदहा पचमहुआ मार्ग के पास से फर्जी नम्बर प्लेट लगी, चोरी की 02 अदद मोटर साइकिल, 02 अदद नम्बर प्लेट, 04 अदद देशी सुतली बम के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना बाघराय में मु0अ0सं0- 334/24 धारा 303(2), 317(2), 319(2), 318(4), 336(3) बीएनएस व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगणों नें पूछताछ में बताया कि साहब हम दोनों से गलती हो गयी। हम लोग छोटी मोटी चोरी कर लेते है और चोरी के सामान को बेचकर अपना खर्चा पानी चलाते है। यह दोनों मोटरसाइकिल हम लोग प्रयागराज के पास से बहुत पहले चोरी किये थे। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर हम लोग चोरी करते है। आज इसी मोटरसाइकिल से चोरी करने के लिये निकले थे कि साहब आप लोगों ने हम दोनो को पकड़ लिया। इस पर बरामद बम के बारे में पूछताछ किया गया। तो दोनों ने बताया कि बम हम दोनों अपनी सुरक्षा के लिये रखते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास-

01- अभियुक्त सुरेन्द्र गुप्ता उर्फ खूंटी पुत्र स्व0 घनश्याम गुप्ता नि0 ग्राम सरायदली थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 813/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

2-मु0अ0सं0 814/18 धारा 411/413 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

3- मु0अ0सं0 33/23 धारा 380/411/454 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

4- मु0अ0सं0 85/18 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना दारागंज जनपद प्रयागराज।

5-मु0अ0सं0 334/24 धारा 303(2)/317(2)/319(2)/318(4)/336(3) बीएनएस व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

02- अभियुक्त अखिलेश वर्मा पुत्र रामदेव वर्मा नि0 ग्राम कांपा थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 179/23 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0 334/24 धारा 303(2)/317(2)/319(2)/318(4)/336(3) बीएनएस व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

फर्जी नम्बर प्लेट लगी, चोरी की 02 अदद मोटर साइकिल, 02 अदद नम्बर प्लेट, 04 अदद देशी सुतली बम बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 देवीदयाल कश्यप मय हमराह प्रशिक्षु उ0नि0 गौरव प्रताप सिंह, उ0नि0 राहुल, का0 शीशपाल, का0 संदीप थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

दुष्कर्म, मारपीट, दहेज एक्ट व आईटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मानिकपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के ग्राम चौरही पाल ढाबा से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी के साथ वादिनी के पति, परिजन व पति के दोस्त द्वारा दुष्कर्म, मारपीट, दहेज एक्ट व अश्लील वीडियों बनाकर दहेज माँगने के प्रकरण में थाना मानिकपुर में अन्तर्गत धारा 85, 115(2),352,351(2),123(1),64 बी0एन0एस0 व धारा 3/4 डीपी एक्ट व 67 आईटी एक्ट बनाम 05 नामजद अभियुक्त/अभियुक्ता का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री दीपनारायण मय हमराह का0 घनश्याम प्रसाद, का0 हरेन्द्र, चालक पीआरडी अमित द्वारा थाना मानिकपुर के अन्तर्गत धारा 85, 115(2),352,351(2),123(1),64 बी0एन0एस0 व धारा 3/4 डीपी एक्ट व 67 आईटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त रंजीत यादव पुत्र चन्द्रपाल यादव निवासी मदापुर मजरे कहुआ पोस्ट मनका थाना सलोन जनपद रायबरेली को दिनांक 10.10.2024 को थानाक्षेत्र के ग्राम चौरही पाल ढाबा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त रंजीत यादव पुत्र चन्द्रपाल यादव निवासी मदापुर मजरे कहुआ पोस्ट मनका थाना सलोन जनपद रायबरेली।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना प्रभारी मानिकपुर श्री दीपनारायण मय हमराह का0 घनश्याम प्रसाद, का0 हरेन्द्र, चालक पीआरडी अमित थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस ने 02 चोरों को दबोचा, चोरी के 04 सेट लोहे के पिलर फर्मा बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध एक्शन जारी।

टेकी पट्टी जूनियर हाईस्कूल की ओर जाने वाली सड़क से चोरी के 04 सेट लोहे के पिलर फर्मा बरामद, 02 चोर गिरफ्तार

प्रतापगढ़।

थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 09.10.2024 ग्राम देवर पट्टी से 04 सेट लोहे के पिलर फर्मा चोरी हो गये थे। वादी की तहरीर के आधार पर थाना बाघराय में मु0अ0सं0 333/2024 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम 02 नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया था।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना बाघराय प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में दिनांक 10.10.2024 थाना बाघराय के उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 अंशू प्रजापति व का0 ओम प्रकाश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/शान्ति व्यवस्था एवं विवेचना, चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 333/2024 धारा 303 (2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों 1- रवि मिश्रा उर्फ अमित पुत्र कृष्णा प्रसाद मिश्र नि0ग्राम0 सिलावटपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ, 2- आतीश कुमार शर्मा पुत्र जवाहर लाल शर्मा नि0 मीरपुर बनोही थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत टेकी पट्टी जूनियर हाईस्कूल की ओर जाने वाली सड़क से के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशादेही पर चोरी के 04 सेट लोहे के पिलर फर्मा बरामदगी किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण –

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगो ने कल बिहार बाजार के कालेज रोड पर एक दुकान के बाहर रखे फर्मे उठा लिये थे। आप लोगों को आता देखकर हमें लगा कि आप हमें पकडने आ रहे हैं। पुलिस से बचने के लिए हम तेजी से दूर जा रहे थे। चुराये गये लोहे के फर्मों के बारे में पूछने पर बताया कि सभी फर्मे पास में खडी सरपत में छिपाकर रखे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1-रवि मिश्रा उर्फ अमित पुत्र कृष्णा प्रसाद मिश्र नि0ग्राम0 सिलावटपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ।

2-आतीश कुमार शर्मा पुत्र जवाहर लाल शर्मा नि0 मीरपुर बनोही थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी –

चोरी के 04 सेट लोहे के पिलर फर्मा बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम पुलिस टीम -

उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 अंशू प्रजापति व का0 ओम प्रकाश यादव थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद- प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

मारपीट/ गाली गलौज, हत्या के प्रयास के अभियोग में 01 अभियुक्त, 01अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना लालगंज पुलिस टीम नें थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जसमेढा से 01 अभियुक्त, 01अभियुक्ता गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 08.10.2024 को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जसमेढ़ा में आबादी की भूमि के विवाद को लेकर आरोपीगणों द्वारा वादिनी की पुत्री को एकराय होकर जान लेने के नियत से लाठी, डण्डो, गहदाला से मारपीट करने आदि आरोपों में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में मु0अ0सं0 431/24 धारा 109,110,115(2), 352,351(3), 324(4) बी0एन0एस0 बनाम 02 नामजद अभियुक्त/अभियुक्ता के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी)श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना लालगंज प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 राजेन्द्र राम मय हमराह का0 विशाल यादव, का0 कैलाश कुमार, म0का0 अमिता शुक्ला द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 431/24 धारा 109,110,115(2),352,351(3),324(4) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त/अभियुक्ता 1- राकेश पुत्र देवतादीन, 2- दीपिका पुत्री राकेश निवासीगण ग्राम जसमेढ़ा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जसमेढ़ा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-
1- राकेश पुत्र देवतादीन निवासी ग्राम जसमेढ़ा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
2- दीपिका पुत्री राकेश निवासी ग्राम जसमेढ़ा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

उ0नि0 राजेन्द्र राम मय हमराह का0 विशाल यादव, का0 कैलाश कुमार, म0का0 अमिता शुक्ला थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियुक्त गिरफ्तार

एएसपी पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज के नेतृत्व में गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दी जा रही दबिश

बीट आरक्षी सर्वेश पाण्डेय के अथक प्रयास से 01 गैंगेस्टर सद्दाम को किया गया गिरफ्तार

आरक्षी सर्वेश पाण्डेय के सराहनीय कार्य के लिये पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा प्रशस्ति-पत्र से किया जायेगा सम्मानित

मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध की जा रही है बड़ी कार्यवाही

गैंगस्टर की सुरागरसी/ पतारसी कर थानाध्यक्ष धनन्जय राय मय हमराह उ0नि0 श्री शिवपूजन यादव, का0 अतुल कुमार दूबे, का0सर्वेश पाण्डेय थाना देल्हूपुर द्वारा दी गई दबिश

हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट अन्य आपराधिक कृत्य जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त है अपराधी

गैंगस्टर सद्दाम उपरोक्त पर जनपद प्रतापगढ़ के थाना मान्धाता व थाना देल्हूपुर में गम्भीर लगभग धाराओं में लगभग आधा दर्जन पंजीकृत है अभियोग

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत मल्हूपुर रेलवे क्रासिंग गेट के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

प्रतापगढ़।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/ अभियान के तहत जनपदवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी देल्हूपुर के नेतृत्व में थाना देल्हूपुर पर दिनांक 08.10.2024 को मु0अ0सं0 150/2024 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 बनाम 03 अभियुक्त, 1- (गैंगलीडर) मो0 मुस्लिम व (गैंग के सदस्य) 2- अरबाज अली 3- सद्दाम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गैंगेस्टर की गिरफ्तारी हेतु थाना देल्हूपुर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी चेकिंग व अभियुक्त के संभावित स्थानों पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी कर दबिश दी जा रही थी-

इसी क्रम में दिनांक 10.10.2024 को क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में देल्हूपुर थाना प्रभारी धनन्जय राय मय हमराह उ0नि0 श्री शिवपूजन यादव, का0 अतुल कुमार दूबे, का0 सर्वेश पाण्डेय थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, विवेचना के दौरान गैंगस्टर सद्दाम उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र अब्दुल रफीक निवासी ग्राम चंघईपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र अन्तर्गत मल्हूपुर रेलवे क्रासिंग गेट के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूर्व का घटना क्रम-

दिनांक 06.05.2024 को वादी समीर पुत्र मोसिम अली नि0 ग्राम चंघईपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ जो अपने जीजा के साथ खुशहालगंज बाजार से घर आ रहा था कि रास्ते में चंघईपुर सहिजनपुर नदी के पुल के पास पहले से घात लगाकर बैठे मोटर साइकिल सवार तीन व्यक्तियों द्वारा तमंचा सटाकर मोटर साइकिल, मोबाइल व पैसे छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना देल्हूपुर पर मु0अ0सं0 76/2024 धारा 394/506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

दि0-06.05.2024 को वादी विपिन सिंह पुत्र स्व0 अवधेश सिंह नि0 ग्राम चंघईपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़, जो अपने भाई व चाचा के साथ भूसा भर रहा था कि सूचना प्राप्त हुई कि सहिजनपुर पुल से 03 बदमाश मोटर साइकिल छीन कर उधर ही जा रहे है। उक्त सूचना पर वादी व उनके चाचा द्वारा इन्हे रोकने पर उन पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई जिसमें दोनों घायल हो गये थे। इस सम्बन्ध में थाना देल्हूपुर पर मु0अ0सं0 80/2024 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण/ गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश दिए थे । इसी क्रम में विवेचना के दौरान गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मु0अ0सं0 76/2024 अन्तर्गत धारा 394/506 भादवि0 दिनांक 07.07.2024 व मु0अ0सं0 80/2024 अन्तर्गत धारा 307 भादवि0 दिनांक 24.07.2024 को मा0 न्यायालय को प्रेषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सद्दाम उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र अब्दुल रफीक निवासी ग्राम चंघईपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त सद्दाम उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र अब्दुल रफीक निवासी ग्राम चंघईपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 24/17 धारा 354 भादवि व 11(iv)/12 पाक्सो एक्ट थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ
02. मु0अ0सं0 76/24 धारा 394/506 भा0द0वि0 थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ
03. मु0अ0सं0 80/24 धारा 307 भा0द0वि0 थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ
04. मु0अ0सं0 81/24 धारा 307(पु0मु0)/399/402/411/420/465 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ
05. मु0अ0सं0 150/24 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ

पुलिस टीमः- थानाध्यक्ष धनन्जय राय मय हमराह उ0नि0 श्री शिवपूजन यादव, का0 अतुल कुमार दूबे, का0 सर्वेश पाण्डेय थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोहंडौर के उ0नि0 प्रवीण कुमार दूबे मय हमराह हे0का0 प्रमोद कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान अ0स0 35/12 धारा 323,504,506 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त 1- कल्लन उर्फ इश्तियाक अहमद पुत्र स्व0 फरीद निवासी ग्राम चंदुआडीह थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1- कल्लन उर्फ इश्तियाक अहमद पुत्र स्व0 फरीद निवासी ग्राम चंदुआडीह थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम- उ0नि0 प्रवीण कुमार दूबे मय हमराह हे0का0 प्रमोद कुमार, थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोहंडौर के उ0नि0 प्रतीक सिंह मय हमराह हे0का0 प्रमोद कुमार, का0 प्रवीण कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान अ0स0 71/18 धारा 323,504,506 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त 1- राम अभिलाष पुत्र रामनारायण 2- राघव प्रसाद पुत्र रामनारायण निवासीगण ग्राम नभैया धरौली मधुपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों का विवरण-
1- राम अभिलाष पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम नभैया धरौली मधुपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ।
2- राघव प्रसाद पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम नभैया धरौली मधुपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम- उ0नि0 प्रतीक सिंह मय हमराह हे0का0 प्रमोद कुमार, का0 प्रवीण कुमार थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।